न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः— 02/2021

प्रार्थीः—

लालसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
2. चैनसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
3. दीपसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
4. दोलसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
5. पूंजराजसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
6. पदमसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
7. परबतसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
8. सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
9. जोगसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
10. भीखकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
11. राणसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी
12. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री कैलाशपुरी विप्रार्थीगण 1 ता 8

—: आदेश :—

दिनांक :— 03.09.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 05.6899 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा रेलो की ढाणी पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना में अवस्थित है। गांव कुण्डल से कांखी जाने वाले राजस्व कटाण के रास्ते के जुडता दक्षिण दिशा की आई विप्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 817,819 में से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर स्थित प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 820 में जाने का एक मात्र विकल्प है प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल ए से बी दर्शाया गया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2021/206 दिनांक 28.05.2021 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 9,10 व 11 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 819 मे से बिना कोई प्रतिफल राशि लिये प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 820 में रास्ते दिये जाने की सहमति व स्वीकृति प्रदान की है। विप्रार्थीगण वकील द्वारा जबाब पेश कर मौके पर प्रार्थी के कथनानुसार रास्ता उपलब्ध न होकर जबाब के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया बरंग लाल रास्ता होना बताया है। विप्रार्थी वकील द्वारा बताये रास्ते हेतु खसरा संख्या 1010/825 के खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में आवगमन के लिये लगभग 40 –50 वर्षो से खसरा संख्या 817 व 819 में से ही उपयोग करते आ रहे है तथा खसरा संख्या 1010/825 में कोई रास्ता नही चलता है व पडोंसी खातेदार चैनसिंह पुत्र पहाडसिह जाति राजपूत निवासी रेलो की ढाणी द्वारा बताया गया है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 820 में आवगमन हेतु खसरा संख्या 817 व 819 मे से करते है इसके लिये अन्य कोई रास्ते प्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 A पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी के सरहद मौजा रेलो की ढाणी पटवार मण्डल कुण्डल के खेत खसरा संख्या 820 में आवगमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 817 व 819 के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है साथ ही विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का खण्डन करते बताया कि विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा [illegible] संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'ब' में खसरा संख्या 987/824 में बरंग [illegible] दर्शाया गया रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है जिसकी तस्दीक प्रार्थी वकील ने खसरा संख्या 987/824 की खातेदारी खसरा नक्शा व जमाबंदी नकल पेश की जिसमें विप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गये जबाब के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब में दर्शाये पीला रंग का कटाण रास्ता मौजूद नहीं हैं । तथा रा.का.अ. की धारा 251 ए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रार्थी खातेदार के पास उसका स्वंय का अन्य कोई खेत होने पर रास्ता उस खेत में से दिया जाना आवश्यक हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली का अवलोकन व गहनता से मनन किया । प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते के दिये जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 9 ता 11 द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति व स्वीकृत दी गई है। विप्रार्थीगण वकील द्वारा अपने जबाव में कथन किया गया है कि जबाब के संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया गया बरंग पीला से जुडता बरंग लाल नजदीकी रास्ता है व खसरा संख्या 987/824 बरंग पीला रास्ता है जबकि प्रार्थी वकील द्वारा खसरा संख्या 987/824 की प्रस्तुत नक्शा व जमाबंदी नकल के अवलोकन से ज्ञात होता की खसरा संख्या 987/824 खातेदारी भूमि में कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा उक्त खसरे व खसरा संख्या 1010/825 में न ही कोई रास्ता मौजूद नहीं होने के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । उसी गांव के प्रार्थी के खेत के नजदीकी खातेदार चैनसिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया गया है कि खसर संख्या 820 में आवगमन हेतु खसरा संख्य 817 व 819 में से वर्षो से आवगमन करते आ रहे है। तथा प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम रास्ता तथा विप्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता कटाण मार्ग से प्रार्थी के प्रस्तावित रास्ते से बहुत ही लम्बा रास्ता है तथा रा.का.अ. की धारा 251 ए में भी सबसे निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावाधान है। साथ ही प्रार्थी को नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये ए से बी रास्ता दिये जाने से खसरा संख्या 819 के खातेदारो को भी रास्ता प्राप्त होगा तथा अनावश्यक कानूनी कार्यवाही व आर्थिक नुकसान से भी बचेगा।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2021/206 दिनांक 28.05.2021 के संलग्न नजरी नक्शा ए से बी बरंग लाल स्वीकार किया जाकर कर प्रार्थी के खेत खसरा संख्य 820 मे आवगमन हेतु ख्सरा संख्या 817 व 819 से से 2 गट्ठा चौडाई रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थी को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई रास्ता निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की आदेश दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी। प्रार्थी को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2021.12.14 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी. तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

21.5.21
02.08.2021

ग्राम - किशनगर
मौजा - रेलो की ढाणी
तहसील - सिवाना
पैमाना 1 इंच = 80 गज

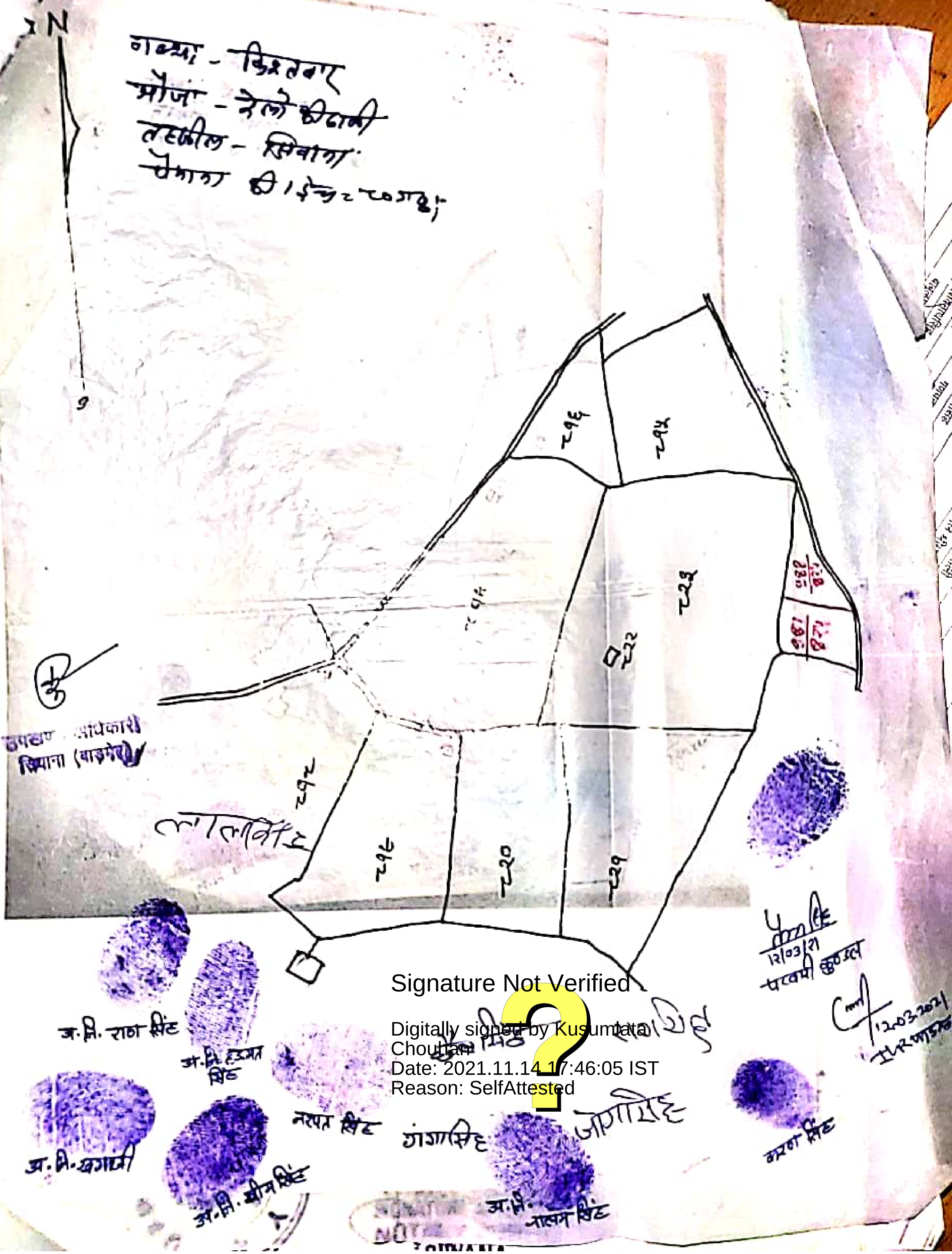

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested